सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित आनन्दी आई.ए.एस

प्रकरण संख्या **02/2017** आवंटन निरस्ती

1. श्रीमती मोतीबाई पत्नी देवाजी डांगी निवासी जुड तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री देवा पिता कना जी डांगी निवासी जुड तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती मंजु कुंवर पत्नी गोविन्दसिंह राजपूत निवासी जुड तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर (राज.)

—— रेस्पोडेन्टगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970

उपस्थितः
1. श्री भीमराज पटेल, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री खेमराज डांगी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री मनोज कुमार पॅवार, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः—05.08.2019

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौजा जुड पटवार हल्का कुराबड की आराजी संख्या 963मी. रकबा 0.5000है. कृषि भूमि का आवंटन दिनांक 21.06.2002 को आवंटन कमेटी द्वारा किया जाकर पटवारी हल्का द्वारा आवंटन की पालना में मौके पर नपती कर कब्जा सिपुर्द किया गया। तभी से उक्त भूमि पर कब्जा प्रार्थीगणों का होकर जमाबन्दी में आराजी संख्या 963/1130 दर्ज है। विपक्षी सं. 1 मंजु कंवर का आराजी संख्या 963मी में कभी भी नाजायज कब्जा नहीं रहा, ना ही आज है। तत्कालीन पटवारी इनके करीब के रिश्तेदार होने से उक्त आराजी में 0.5000है. भूमि का गलत आवंटन करवा दिया गया। पटवारी हल्का द्वारा राजस्व रेकार्ड, नक्शा ट्रेस में प्रार्थीगण को कब्जा सिपुर्द किया गया तो उसमें विपक्षी सं.1 को नक्शे में पेमुद कर दिया गया।

प्रार्थीगण ने उक्त आराजीयात की भूमि पर काफी लागत लगाकर जमीन को अवादान योग्य बनायी है तथा पत्थर की चारों तरफ बाउण्ड्रीवाल बना अन्दर पाले डाले, रूख वृक्ष लगा रखे है तथा अपने रहने हेतु रिहायशी केलुपोश मकान भी बना रखा है। पटवारी हल्का द्वारा वास्तविकता को छिपाते हुये आवंटन करवा दिया गया है। जो निरस्त योग्य हैं । विपक्षीया भूमिहीन काश्तकारी की श्रेणी में नहीं आती है। विपक्षी सं. 1 के पति गोविन्द सिंह शिक्षा विभाग में अध्यापक के पद पर सरकारी सेवा में कार्यरत है। पटवारी द्वारा प्रार्थी की भूमि पर विपक्षीयां को आवंटित भूमि पर पेमुद कर दिया गया है। तथा प्रार्थीगण को किये गये आवंटन का राजस्व रेकार्ड में पेमुद कराया जाना आवश्यक है। प्रार्थी को विपक्षीया के नाम पर आवंटित भूमि की जानकारी दिनांक 24.01.17 को हुई जिस पर नकले प्राप्त कर यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी सं. 1 को आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त फरमाया जावे

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। मूल आवंटन पत्रावली तलब की गई। विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली हैं।

विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि दिनांक 21.06.02 को आराजी सं.963मी. में से 0.5000है. व 922 में से 0.5000है भूमि विपक्षी को नियमानुसार आवंटित की गई । जिसमें तत्कालिन पटवारी की कोई मिलीभगत नहीं है, ना ही पटवारी द्वारा गलत रिपोर्ट की गई। आवंटित भूमि का नियमानुसार कब्जा भी सिपुर्द किया गया। प्रार्थीगण व विपक्षी को अलग–अलग रकबा आवंटित किया गया। अलग–अलग काबिज चले आ रहे है। विपक्षी को आवंटित भूमि राजस्व रेकार्ड में आराजी नंबर 963/1129 व 922/1112 अंकित किये गये। आराजी नम्बर 963/1129 के पूर्वी दिशा में रास्ता है एवं रास्ते के पूर्वी दिशा में प्रार्थीगण की आवंटित भूमि है। विपक्षी द्वारा आवंटित भूमि को भारी लागत लगाकर आबादान की गई है। प्रार्थीगण द्वारा कोई केलुपोश मकान नहीं बना रखा है। ना ही कोई मवेशियो, बकरियों के लिए बाडा बना रखा है। विपक्षया को आवंटन नियमानुसार नियमो की पालना करते हुये विधिवत कोरम में किया गया। जिसे निरस्त नहीं किया जासकता है। वक्त आवंटन विपक्षी का पति सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं था। प्रार्थीगण की आपत्ति गलत है। जिस जगह विपक्षी को भूमि आवंटन हुई उसी जगह की नक्शे में पेमुद की गई है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। उपस्थित विद्ववान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहन अध्ययन किया गया। मूल आवंटन पत्रावली को भी देखा गया। मौजा जुड की आराजी संख्या 963मी में 21.06.2002 को प्रार्थीगण के पक्ष में भी 0.5000है. भूमि का आवंटन हुआ। इसी मीन आराजी में विपक्षी मंजुकंवर को भी 0.5000है. भूमि का आवंटन हुआ है। इसके साथ ही विपक्षी को आराजी नंबर 922 में भी 0.5000है. भूमि

का आवंटन हुआ है। प्रार्थीया को राजस्व अभिलेख में आराजी संख्या 963/1130 के रूप में आराजीयात दर्ज हुई है एवं विपक्षीयां को आराजीयात नंबर 963/1129 व 922/1112 के रूप में दर्ज हुई है। पत्रावली देखने पर प्रथम दृष्टया प्रकरण राजस्व नक्शे में गलत पेमुदगी का लग रहा है। अपीलार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र के साथ में विस्तृत नक्शा ट्रेस प्रस्तुत नहीं किया गया है। विपक्षीयां को आवंटित भूमि का नक्शा ट्रेस आवंटन की मूल पत्रावली में संलग्न है, परन्तु प्रार्थी को आवंटित भूमि का ट्रेस प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिस ट्रेस की छायाप्रति प्रार्थी द्वारा नामान्तकरण की छायाप्रति के साथ में संलग्न किया गया है वह पटवारी द्वारा दिनांक 24.01.17 का जारी शुदा है। इसी स्थिति में न्यायालय किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुच सकता है। एवं प्रार्थी का प्रार्थनापत्र भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार गिर्वा को इस आशय के साथ में प्रतिप्रेषित किया जाता है कि दोनो पक्षो के आवंटित भूमि का आवंटन पत्रावली से नक्शा ट्रेस प्राप्त किया जाकर यदि मौके पर दोनो अलग अलग स्थान पर आवंटन अनुसार काबिज नहीं है तो आवंटन अनुसार इन्हे कब्जा सिपुर्दुगी करते हुए नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से आवंटित भूमि का पेमुदगी करावे एवं उभयपक्ष को उनकी आवंटित भूमि की सीमाऐं बतायी जावे। दोनो पक्षों को भी चाहिए कि आवंटन पत्रावली में उपलब्ध नक्शा ट्रेस की प्रति तहसीलदार गिर्वा के समक्ष प्रस्तुत करें। तहसीलदार गिर्वा एक माह में उक्त आवश्यक कार्यवाही कर न्यायालय को पालना से अवगत करावें।

निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली उपखण्ड अधिकारी गिर्वा को सूचनार्थ प्रेषित की जायें एवं निर्णय की प्रति मय विपक्षी को आवंटित भूमि का नक्शा ट्रेस की छायाप्रति सहित तहसीलदार गिर्वा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर
उदयपुर